(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खंड–3 उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 43/2015–2020

नई दिल्ली, दिनांकः 9 नवंबर, 2022

विषयः आरबीआई ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 10 दिनांक 11 जुलाई, 2022 के समकालिक विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत संशोधन।

सा.आ.(अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आरबीआई के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 10 दिनांक 11 जुलाई, 2022 के समकालिक विदेश व्यापार नीति 2015–20 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती हैः

क्र. सं.	मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
1.	**2.46 निर्यात हेतु आयात** I. (ख) पूंजीगत माल (नए और पुराने दोनों) सहित माल का निर्यात के लिए आयात किया जा सकता है बशर्ते किः iii. निर्यात मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा द्वारा हो। II. (क) मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान द्वारा आयात किए गए माल को केवल मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान द्वारा निर्यात के लिए अनुमति दी जाएगी, जब तक कि डीजीएफटी द्वारा अन्यथा अधिसूचित नही किया गया है।	**2.46 निर्यात हेतु आयात** I. (ख) पूंजीगत माल (नए और पुराने दोनों) सहित माल को निर्यात के लिए आयात किया जा सकता है बशर्ते किः iii. निर्यात मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा द्वारा या विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.52 (घ) (ii) के अनुसार हो। ii. (क) मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान द्वारा आयात किए गए माल को केवल मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान द्वारा निर्यात के लिए अनुमति दी जाएगी, जब तक कि डीजीएफटी द्वारा अन्यथा अधिसूचित नही किया गया हो। पैरा 2.52 (घ) (i) के तहत आयातित माल को केवल पैरा 2.52 (घ) (ii) के अनुसार भुगतान द्वारा निर्यात के लिए अनुमति दी जाएगी जब तक कि डीजीएफटी द्वारा अन्यथा अधिसूचित नही किया गया हो।

सं. सांमो

2.	**2.53 ईरान को निर्यात एफटीपी लाभ और प्रोत्साहन के लिए पात्र होने हेतु भारतीय रुपए में प्राप्ति** (i) उपरोक्त पैरा 2.52 (क) में निहित प्रावधानों के बावजूद ईरान को निर्यात के बदले भारतीय रुपये में प्राप्त निर्यात आय को विदेश व्यापार नीति (2015–20) के तहत निर्यात लाभ/प्रोत्साहन के लिए अनुमति दी जाती है, जो कि मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त निर्यात आय के समतुल्य है।	**2.53 भारतीय रुपये में निर्यात प्राप्तियों के लिए एफटीपी स्कीमों की अनुप्रयोज्यता** (i) ईरान को निर्यात के बदले भारतीय रुपये में प्राप्त निर्यात आय को विदेश व्यापार नीति (2015–20) के तहत निर्यात लाभ/ निर्यात दायित्वों की पूर्ति के लिए अनुमति दी जाती है, जो कि मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त निर्यात आय के विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.18 के अनुपालन के अधीन समतुल्य है। (ii) पैरा 2.52 (घ) (ii) के अनुसार भारतीय रुपये में प्राप्त निर्यात आय को विदेश व्यापार नीति (2015–20) के तहत निर्यात लाभ/ निर्यात दायित्वों को पूरा करने की अनुमति है।
3.	**3.20 स्तर धारक** (ख) वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के सभी निर्यातकों के पास एक आयात–निर्यात कोड (आईईसी) संख्या है जो एक स्तर धारक की पहचान हेतु पात्र होगा। स्तर की पहचान निर्यात–निष्पादन पर निर्भर होगी। एक आवेदक का स्तर धारक के रुप में वर्गीकरण उसके वर्तमान और गत तीन वित्तीय वर्षों (रत्न और आभूषण क्षेत्र हेतु स्तर धारक के तौर पर पहचान के लिए वर्तमान और गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान निष्पादन पर विचार किया जाएगा) के दौरान प्राप्त निर्यात निष्पादन के अनुसार होगा जैसाकि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.21 में निदेशित है। निर्यात निष्पादन की गणना मुक्त रुप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्यात आय के एफओबी के आधार पर की जाएगी।	**3.20 स्तर धारक** (ख) वस्तुओं, सेवाओं और तकनीकी के सभी निर्यातकों के पास एक आयात–निर्यात कोड (आईईसी) संख्या है जो एक स्तर धारक की पहचान हेतु पात्र होगा। स्तर की पहचान निर्यात निष्पादन पर निर्भर होगी। एक आवेदक का स्तर धारक के रुप में वर्गीकरण उसके वर्तमान और गत तीन वित्तीय वर्षों (रत्न और आभूषण क्षेत्र हेतु स्तर धारक के तौर पर पहचान के लिए वर्तमान और गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान निष्पादन पर विचार किया जाएगा) के दौरान प्राप्त निर्यात निष्पादन के अनुसार होगा जैसाकि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.21 में निदेशित है। निर्यात निष्पादन की गणना विदेशी व्यापार नीति के पैरा 2.53 के अनुसार मुक्त रुप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा अथवा भारतीय रुपये में निर्यात आय के एफओबी के अनुसार की जाएगी।

ह. सारंगी

4.	**4.21 निर्यात लाभ की प्राप्ति हेतु मुद्रा** यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो तो निर्यात आय मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त किया जाएगा। निर्यात आय की प्राप्ति और गैर प्राप्ति से संबंधित प्रावधान विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.52, 2.53 और 2.54 में दिए गए हैं।	**4.21 निर्यात लाभ की प्राप्ति हेतु मुद्रा** यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, विदेश व्यापार के पैरा 2.53 के अनुसार निर्यात आय मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा अथवा भारतीय रुपये में प्राप्त की जाएगी। निर्यात आय की प्राप्ति और गैर प्राप्ति से संबंधित प्रावधान विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.52, 2.53 और 2.54 में दिए गए हैं।

इस अधिसूचना का प्रभावः आरबीआई के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 10 दिनांक 11 जुलाई, 2022 के अनुसार भारतीय रुपए में निर्यात और आयात के बीजक, भुगतान और निपटान हेतु निर्यात लाभों/ निर्यात दायित्व के निवर्हन को अनुमति प्रदान करने के लिए विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत संशोधनों को अधिसूचित किया गया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
9.11.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

[फा. सं. 01/93/180/32/एएम–19/पी.सी.II (बी)/ई–17430 से जारी]